>

Title: Issue regarding criteria for calculation of poverty line.

श्री गणेश सिंह (सतना): सभापति जी, मैं आपका बहुत-बहुत धन्यवाद करता हूँ कि आपने मुझे बोलने का अवसर दिया। मैं आपके माध्यम से भारत सरकार का ध्यान एक बहुत महत्वपूर्ण विषय की ओर आकृष्ट कराना चाहता हूँ हालांकि उस विषय पर आज सुबह चर्चा हुई है और हमारी नेता सुषमा स्वराज जी ने, शरद यादव जी ने, माननीय मुलायम सिंह जी ने तथा सभी नेताओं ने अपनी चिन्ता प्रकट की है। मैं भी उसमें अपनी चिन्ता प्रकट करते हुए कहना चाहता हूँ कि योजना आयोग ने देश के गरीबी रेखा के जो आँकड़े जारी किये हैं, वे ज़मीनी हकीकत से बहुत दूर हैं। योजना आयोग ने जो गरीबी रेखा की पातृता के मापदंड निर्धारित किये हैं, उस पर देश भर में भारी आक्रोश है क्योंकि आयोग ने कहा है कि देश में ग्रामीण क्षेतृ में रहने वाले लोग यदि 22.42 रुपये प्रतिदिन तथा शहरी क्षेत्रों में 28.65 रुपये प्रतिदिन कमाकर खर्च कर रहे हैं तो वे गरीबी रेखा में नहीं आ सकते। इससे बड़ा और क्रूर मज़ाक गरीबों के साथ नहीं हो सकता। योजना आयोग देश की वास्तविकता को जाने बगैर इस तरह के निर्णय देकर यदि देश को गुमराह करेगा तो भयंकर विस्फोट की स्थिति का निर्माण होगा। आयोग ने कहा है कि पाँच वर्षों में कुल आबादी में 7.3 फीसदी गरीबी कम हुई है, अतः देश में 6 करोड़ 30 लाख लोग बीपीएल से ऊपर उठ चुके हैं। ये आँकड़े एकदम गलत हैं। देश में कुल आबादी के 60 प्रतिशत लोग गरीबी का दंश झेल रहे हैं। प्रकृति ने तो उनको गरीब बनाकर वैसे भी बड़ी सज़ा दी है, अब केन्द्र सरकार भी गरीबों का हक उनसे छीनने में लगी है। मैं मध्य प्रदेश का उदाहरण दे रहा हूँ। आज बीपीएल में 76 लाख परिवार हैं, लेकिन केन्द्र सरकार मातृ 42 लाख परिवारों को बीपीएल में मानती है जबकि राज्य सरकार ने ग्रामीण क्षेत्रों में तहसीलदार तथा शहरी क्षेत्रों में एस.डी.एम. के न्यायालय में जिनकी पातृता थी, उन्हीं को बीपीएल में शामिल करने का काम किया है। मेरी मांग है कि योजना आयोग तत्काल ऐसे आँकड़ों पर रोक लगाए तथा ज़मीनी हकीकत जानने के लिए पुनः एक कमेटी बनाई जाए। श्री अर्जुन सेनगुप्ता की रिपोर्ट कहती है कि देश के 80 प्रतिशत लोग 20 रुपये प्रतिदिन से कम में गुज़ारा कर रहे हैं और योजना आयोग 22 रुपये कमाने वालों को गरीब मानने को तैयार नहीं है। ऐसा अन्याय तत्काल बंद किया जाए।